

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 34 / 2024

रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 46

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)


श्री रमेश चन्द्र पटेल पुत्र श्री लाल सिंह निवासी
वार्ड नं. 4 ब्राह्मण मौहल्ला, कूपडा, बांसवाड़ा
(विक्रेता / मालिक) मैसर्स रमेश किराणा स्टोर,
डाबरिया मौहल्ला, कूपडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 03-09-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 11-03-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 12-03-2023 को 12.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स रमेश किराणा स्टोर, डाबरिया मौहल्ला, कूपडा, जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री रमेश चन्द्र पटेल पुत्र श्री लाल सिंह उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स रमेश किराणा स्टोर, डाबरिया मौहल्ला, कूपडा का निरीक्षण करने पर दुकान में घी (महान) एक रिक में 500 एम.एल के 8 डिब्बे विक्रय हेतु रखे थे। उक्त घी (महान) एफ.एस.एस.ए. के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए घी (महान) के 500 एम.एल के 4 डिब्बे वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1100/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा घी (महान) के 500 एम.एल के 4 डिब्बे के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1336 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया।



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)


प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागों को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/225 दिनांक 04-04-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 283 दिनांक 22-03-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया घी (महान) का नमूना कोड क्रमांक **W-1336** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। खाद्य कारोबारी द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील की करने पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया गया था, जहां से आरएफएल जांच रिपोर्ट संख्या 549एफ/एफएसएसए/2023 दिनांक 04.09.2023 अनुसार नमूना कोड क्रमांक **W-1336** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा घी (महान) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13-03-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28-05-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/225 दिनांक 04-04-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 283 दिनांक 22-03-2023 अनुसार विक्रेता



खाद्य नियंत्रण अधिकारी
(राज्य.जिला कारखाना)
बॉसवाडा (राज.)

से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया घी (महान) का नमूना कोड क्रमांक **W-1336** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। खाद्य कारोवारी द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील की करने पर नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया गया था, जहां से आरएफएल जांच रिपोर्ट संख्या 549एफ/ एफएसएसए/ 2023 दिनांक 04.09.2023 अनुसार नमूना कोड क्रमांक **W-1336** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड पाया गया घी (महान) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री रमेश चन्द्र पटेल पुत्र श्री लाल सिंह निवासी वार्ड नं. 4 ब्राह्मण मौहल्ला, कूपडा, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स रमेश किराणा स्टोर, डाबरिया मौहल्ला, कूपडा, जिला बांसवाडा (राज.) को रुपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 03-09-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
खाद्य निरणयन अधिकारी
(अति. जिला न्यायालय)
(अति. जिला न्यायालय)
बांसवाड़ा (राज.)